

# कार्यालय उप निदेशक(मा0)शिक्षा, जयपुर सम्भाग, जयपुर

## कार्यालय आदेश

शिक्षा अधिनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के निम्नांकित कर्मचारियों को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा संख्या पं. 20(1) वित्त गुप-2/दिनांक 25.1.92 एवं संशोधित आदेश दिनांक 22.11.93 एवं 17.2.98 एवं अधिसूचना संख्या पं.11(7) वित्त(नियम)2008/दिनांक 12.9.2008 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक पं.11(7)FD(नियम) 2008 पार्ट-1 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में नियमित नियुक्ति तिथि से 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण आशवासित कैरियर प्रगति स्कीम (A.C.P) स्वीकृत की जाती है। चयनित वेतनमान के एवज में वित्तीय उन्नतिकरण (आशवासित कैरियर प्रगति स्कीम) (A.C.P) की स्वीकृति कॉलम संख्या 8 में अंकित दिनांक से प्रभावी होगी।

इन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण (राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन)नियम 2008 संबंधित कार्यालयध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के आदेश दिनांक 12.9.2008 के नियम 19 के अनुसार किया जाकर प्रति इस कार्यालय को भिजवाएँ, वेतन निर्धारण की प्रविष्टि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जाने के साथ ही वेतन निर्धारण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है तथा कर्मचारी को विभागीय जॉच/कार्यवाही में दण्डित नहीं किया गया है।

जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.6.2001 के प्रावधानानुसार ऐसे राज्यकर्मियों जिनके दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात संतानोत्पत्ति से दो से अधिक बच्चे हो तो उनके लिए यह स्वीकृति आदेश निरस्त समझते हुए इस कार्यालय को मय सेवा पुस्तिका एवं मूल स्वीकृति के अविलम्ब सूचित करें।

क्र.सं	नाम कार्मिक मय पदस्थापन श्री/श्रीमती/सुश्री.....	नियुक्ति तिथि	पे-बैंड	अवधि वर्षों में	पे-ग्रेड		प्रभावी दिनांक
					प्राप्त	स्वीकृत	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हनुमान सहाय जाट, वअ राउमावि, राजपुरवास ताला, ज0रा10, जयपुर II	24.10.99	9300-34800	27	4800	5400	24.10.17
2	गगन चौधरी, वअ रामावि, जैतपुरा, गोविन्दगढ, जयपुर II	01.09.88	9300-34800	27	4800	5400	01.09.15
3	प्रेम प्रकाश, वअ राबाउमावि, सांभरलेक, जयपुर II	03.07.99	9300-34800	18	4200	4800	03.07.17
4	लक्ष्मी नारायण गुप्ता, वअ राबामावि, चतुर्भज, कोटपूतली, जयपुर II	20.11.96	9300-34800	18	4800	5400	20.11.14
5	सायर मल नागर, वअ रामावि, नीमली, विराटनगर, जयपुर II	09.10.99	9300-34800	18	4200	4800	09.10.17
6	दीप चन्द रैगर, सकाअ राउमावि, बीलवाडी, जयपुर II	18.09.90	9300-34800	27	3600	4200	18.09.17
7	जगदीश प्रसाद शर्मा, वअ राउमावि, महवा, दौसा	02.07.99	9300-34800	18	4200	4800	02.07.17
8	महादेव प्रसाद मीणा, वअ राउमावि, भयपुर, दौसा	16.07.96	9300-34800	18	4200	4800	16.07.14
9	सुरेश चन्द्र शर्मा, वअ रामावि, नं0 4, अलवर I	17.10.90	9300-34800	27	4800	5400	17.10.17

जिन कार्मिकों को दिनांक 31-12-06 से पूर्व A.C.P प्रभावी की गई है उन्हें उक्त स्वीकृति का नगद भुगतान दिनांक - 01 जनवरी-2007 से देय होगा। एवं उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक, रामावि को 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी0पी0सी0 से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

तू0वे0श्रू0 से व0अ0 पद पर पदोन्नत शिक्षकों के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06-10-2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए0सी0पी0 स्वीकृत की गई है।

www.rajteachers.com

उप निदेशक(मा0)शिक्षा  
जयपुर सम्भाग जयपुर  
दिनांक 27-06-2018

क्रमांक-शिउनि/मा/जय/संस्था-5/एफ-501 /49/2018  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 01 उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर को उनके द्वारा प्रेषित कार्मिकों/शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए निवेदन है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के कार्मिक के कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें।
- 02 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम-द्वितीय, जयपुर/अलवर को उक्त कार्मिकों/शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें
- 03 संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक/शिक्षक।
- 04 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(मा0)शिक्षा  
जयपुर सम्भाग जयपुर

# कार्यालय उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

## कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ.15(1) एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक - 30.10.17 एवं दिनांक - 09.12.17 के अनुसरण में शिक्षा अधीनस्थ/मन्त्रालयिक कार्मिकों को निम्नानुसार आशवासित कैरियर प्रगति स्कीम (एसीपी) वर्तमान पे-मैट्रिक्स लेवल में स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक/पदस्थापन स्थान(श्री/श्रीमती/सुश्री)	नियमित नियुक्ति दिनांक	सेवा अवधि (वर्षों में)	प्राप्त लेवल	स्वीकृत लेवल	प्रभावी तिथि	वि०वि०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरि प्रसाद जांगिड, वअ राउमावि, लालपुरा, लालसोट, दौसा	17.12.90	27	L-12	L13	17.12.17	-
2	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वअ राबामावि, नांगल बैरसी, दौसा	09.02.91	27	L-12	L13	09.02.18	-
3	अशोक कुमार मंगल, वअ राउमावि, कोट, महवा, दौसा	27.03.91	27	L-12	L13	27.03.18	-
4	जगदीश प्रसाद बैरवा, वअ राउमावि, खुरा, लालसोट, दौसा	22.12.90	27	L-12	L13	22.12.17	-
5	योगेन्द्र कुमार शर्मा, वअ राउमावि, भण्डाना, दौसा	17.12.90	27	L-12	L13	17.12.17	-
6	मौशीलाल बैरवा, वअ राउमावि, लालपुरा, दौसा	22.12.90	27	L-12	L13	22.12.17	-
7	अनिल कुमार शर्मा, वपुअ राउमावि, नांगल राजावतान, दौसा	31.12.90	27	L-13	L-14	31.12.17	-
8	कमलेश कुमार शर्मा, वस राउमावि, रामकरण जोशी, दौसा	23.05.2000	18	L-08	L-09	23.05.18	-
9	ओमप्रकाश शर्मा, वस राउमावि, मण्डावार, महवा, दौसा	29.05.2000	18	L-08	L-09	29.05.18	-
10	लक्ष्मीनारायण मीणा, वस राबामावि, जमवा रामगढ़, जयपुर II	28.04.2000	18	L-08	L-09	28.04.18	-
11	बृजमोहन कुमावत, वस आर०के०भवन, जिशिअ, मा० विधि, जयपुर	17.06.2000	18	L-08	L-09	17.06.18	-
12	जगदीश प्रसाद मीणा, वअ रामावि, रावों की ढाणी, सिंगोदकला, जयपुर II	17.12.90	27	L-12	L13	17.12.17	-
13	राजकुमार कलावटिया, वअ राउमावि, जयसामपुरा, जयपुर II	02.02.91	27	L-12	L13	02.02.18	-
14	रामचन्द्र चान्दोलिया, वअ राउमावि, बडौदिया, विराटनगर, जयपुर II	08.01.91	27	L-12	L13	08.01.18	-
15	किशनाराम जाट, वअ राउमावि, कालख, सांभरलेक, जयपुर II	04.12.90	27	L-12	L13	04.12.17	-

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.17 के पैरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.17 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

01 पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।

02 सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध विद्यालय/कार्यालय स्तर पर विभागीय जाँच प्रस्तावित/लम्बित नहीं है एवं पूर्व में कोई दण्ड नहीं दिया गया है।

03 जिन कर्मचारियों ने सेवा के दौरान पदोन्नति का परित्याग किया है ऐसे प्रकरणों में उनके लिए ये स्वीकृति आदेश निरस्त समझे जावें।

उक्त आदेश में जिन पातेय वेतन पर कार्यरत व्याख्याता एवं प्रधानाध्यापक (रामावि०) को 27 वर्षीय ए०सी०पी० स्वीकृत की गई है। यदि विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति की प्रभावी तिथि के बाद डी०पी०सी० से चयन किया जाता है तो उनके लिए उक्त स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी। तृ०वे०श्रृ० से व०अ० पद पर पदोन्नत शिक्षकों के प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक- पं.5(23)प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 06-10-2010 के अनुसार परीक्षण कर 27 वर्षीय ए०सी०पी० स्वीकृत की गई है।

www.rajteachers.com

क्रमांक-शिउनि/मा/जय/संस्था-5/एफ-एसीपी लेवल/ 10 /2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जयपुर को उनके द्वारा प्रेषित कार्मिकों/शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए निवेदन है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के कार्मिक के कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें।
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम-द्वितीय, जयपुर/अलवर/दौसा को उक्त कार्मिकों/शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका सहित भिजवाते हुए लेख है कि, इन सेवा पुस्तिकाओं को संबंधित के मूल पदस्थापन स्थान पर भिजवाने की व्यवस्था करें।
03. संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित कार्मिक/शिक्षक।
04. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक) शिक्षा  
जयपुर संभाग, जयपुर  
दिनांक 27-06-2018

उप निदेशक(माध्यमिक) शिक्षा  
जयपुर संभाग, जयपुर